

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अप्रैल, 2013

संख्या का०आ० 41/क०अ० 2/1974/धा० 357क/2013.—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2), की धारा 357-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, केन्द्र सरकार से तालमेल करके इसके द्वारा, ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों जिन्हें अपराध के कारण नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजा देने के प्रयोजन हेतु निधि उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित योजना बनाते हैं, अर्थात् :-

1. यह योजना हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना, 2013 कही जा सकती है। यह संक्षिप्त नाम। तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

परिभाषाएं।

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2);

(ख) “अपराध” से अभिप्राय है, अवैध कार्य करना या पीड़ित के मानव शरीर के विरुद्ध किया गया अपराध;

(ग) “आश्रितों” से अभिप्राय है, पत्नी/पति, पिता, माता, अविवाहित पुत्री, नाबालिग बच्चे और इसमें पीड़ित के अन्य विधिक वारिस शामिल हैं, जिन्हें पर्याप्त सबूत उपलब्ध करवाने पर, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा पीड़ित पर पूरी तरह से आश्रित पाया गया है;

(घ) “परिवार” से अभिप्राय है, माता-पिता, बच्चे और इसमें उसी घर में रहने वाले सभी सगे-सम्बन्धी शामिल हैं;

(ङ) “अनुसूची” से अभिप्राय है, इस योजना से संलग्न अनुसूची ;

(च) “राज्य” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

3. (1) पीड़ित मुआवजा निधि के नाम से निधि गठित की जाएगी।

पीड़ित मुआवजा निधि।

(2) पीड़ित मुआवजा निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) बजट आबंटन जिसके लिए राज्य द्वारा वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा;

(ख) इस अधिनियम की धारा 357 के अधीन अधिरोपित जुर्मानों की राशि की प्राप्ति और न्यायालयों के आदेशों से इस निधि में जमा करवाई जाने वाली राशि;

(ग) इस योजना के खण्ड 7 के अधीन दोषी/अभियुक्त से वसूल की गई मुआवजा राशि:

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/लोकोपकारक/धर्मार्थ संस्था/संगठन और वैयक्तिक से प्राप्त दान/अंशदान।

(3) न्याय तथा प्रशासन विभाग इस योजना के विनियमन, प्रशासनिक प्रबंध और निगरानी के लिए नोडल विभाग होगा।

(4) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण इस योजना के अधीन इसके कृत्यों के लिए और राज्य सरकार द्वारा नोडल विभाग के माध्यम से उन्हें वितरित की गई राशि की आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा इस निधि का संचालन किया जाएगा।

मुआवजे के लिए
पात्रता।

4. पीड़ित मुआवजे के लिए पात्र होगा, जहां पर :-

(क) अधिनियम की धारा 357क की उप धारा (2) और (3) के अधीन न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई हो या अपराधी का पता नहीं लगा है या पहचान नहीं की गई है किन्तु पीड़ित की पहचान हो गई है, और जहां ट्रायल शुरू हुआ हो, ऐसा पीड़ित इस अधिनियम की धारा 357-क की उप धारा (4) के अधीन भी मुआवजा देने के लिए आवेदन कर सकता है;

(ख) पीड़ित/दावेदार घटना से अड़तालीस घण्टे के भीतर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी या क्षेत्र के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट की हो :

परन्तु, यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हो जाता है, तो रिपोर्ट करने में हुए विलम्ब की अनदेखी कर सकता है;

(ग) अपराधी का पता लग गया हो या पहचान हो गई हो और जहां विचारण शुरू हो गया है, पीड़ित/दावेदार ने मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस तथा अभियोग पक्ष को सहयोग दिया है;

(घ) परिवार की आय 4.5 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ङ) इस योजना के अधीन जिस अपराध (घटना) के लिए मुआवजे की अदायगी की जानी है, वह हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र में घटित हुआ हो;

(2) केन्द्रीय/राज्य सरकार, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी तथा आयकरदाता इस योजना के अधीन पात्र नहीं होंगे।

5. (1) जब कभी सिफारिश न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 357-क की मुआवजा देने के लिए प्रक्रिया। उपधारा (2) के अधीन की जाती है या कोई आवेदन किसी पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा इस अधिनियम की धारा 357-क की उप धारा (4) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किया जाता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मामले की जांच करेगा और रिपोर्ट की गई अपराधिक गतिविधि में पीड़ित को हुए नुकसान या चोट के सम्बन्ध में दावे के विषयों को सत्यापित करेगा और दावे की वास्तविकता निर्धारित करने के लिये कोई अन्य आवश्यक सुसंगत सूचना मांग सकता है। दावों का सत्यापन करने और सम्यक् जांच करने के उपरांत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के प्रावधानों अनुसार दो मास के भीतर मुआवजा प्रदान करेगा।

(2) यदि विचारण न्यायालय पश्चात्तर्वर्ती तिथि को निर्णय देते समय दोषी व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 357 की उप धारा (3) के अधीन मुआवजे के रूप में किसी राशि का भुगतान करने के लिए आदेश देता है, तो पीड़ित या दावेदार मुआवजे की राशि के बराबर की राशि या अधिनियम की धारा 357 की उप धारा (3) के अधीन भुगतान किए जाने वाली आदेशित राशि, जो भी कम हो, लौटाएगा। पीड़ित/दावेदार द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मुआवजे राशि के वितरण से पूर्व दिया जाएगा।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित को हुए नुकसान के आधार पर पीड़ित या उसके आश्रित को दी जाने वाली मुआवजे की मात्रा, उपचार पर उपगत होने वाले चिकित्सा खर्च, अन्तयेष्टी खर्च इत्यादि के रूप में ऐसे आकस्मिक प्रभार सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम आजीविका राशि का निर्णय करेगा। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर मामला दर मामला मुआवजा भिन्न हो सकता है।

(4) पीड़ित या उसके आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा अनुसूची-1 अनुसार होगी।

(5) इस योजना के अधीन निर्णित मुआवजे की राशि पीड़ित या उसके आश्रितों, जैसी भी स्थिति हो, को निधि से वितरित की जाएगी। मुआवजा राशि की अदायगी करते समय जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि इस योजना के सभी प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया गया है।

(6) पीड़ित द्वारा प्रश्नगत अपराध के संबंध में राज्य से प्राप्त मुआवजा अर्थात् बीमा, अनुग्रह और या किसी अन्य अधिनियम या राजीव गांधी परिवार बीमा योजना या राज्य द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के अधीन प्राप्त अदायगी भी, इस योजना के अधीन मुआवजा राशि के भाग के रूप में मानी जायेगी। पीड़ित/दावेदार जिसने उपरोक्त वर्णित समानान्तर स्रोतों से मुआवजा राशि प्राप्त की है, को इस योजना के अधीन मुआवजे के रूप में समझी जाएगी और इस योजना के अधीन अलग से मुआवजे के लिए हकदार नहीं होगा। यदि पात्र मुआवजा की राशि पीड़ित द्वारा उपरोक्त वर्णित स्रोतों से प्राप्त अदायगियों से अधिक है, तो शेष राशि की अदायगी निधि में से की जायेगी।

(7) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन आने वाले मामलों जिनमें मुआवजा राशि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा प्रदान की जानी है, इस योजना के अधीन नहीं आएगा।

(8) पीड़ित का दुख कम करने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तुरंत प्राथमिक उपचार सुविधा या पुलिस अधिकारी जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो या सम्बन्ध या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर निशुल्क चिकित्सा लाभ उपलब्ध करवाने या कोई अन्य अंतरिम राहत, जिसे वह उचित समझे, के आदेश कर सकता है।

रिकार्ड पर रखे जाने
वाले आदेश।

6. इस योजना के अधीन पारित मुआवजा आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के रिकार्ड पर लानी आवश्यक होगी ताकि न्यायालय इस अधिनियम की धारा 357 की उप धारा (3) के अधीन मुआवजे के आदेश पारित कर सके।

दोषी/अभियुक्त से
पीड़ित को दिए गए
मुआवजे की वसूली।

7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि इसे उचित समझे, तो उत्तरदायी व्यक्ति से उस द्वारा किए गए अपराध के कारण हुए नुकसान या चोट के लिए पीड़ित या उसके आश्रित (आश्रितों) को दिए गए मुआवजे की वसूली करने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष संस्थित कर सकता है।

परि सीमा।

8. इस अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा 4 के अधीन पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा अपराध के छह मास की अवधि के बाद किए गये किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा:

परन्तु यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हो जाता है, तो वह दावा दायर करने में हुए विलम्ब की अनदेखी कर सकता है।

अपील।

9. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुआवजे से इन्कार करने से व्यथित कोई पीड़ित नब्बे दिन की अवधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है:

परन्तु यदि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हो जाता है तो वह अपील दायर करने में हुए विलम्ब की अनदेखी कर सकता है।

अनुसूची-1

क्रम नुकसान या मुआवजे की अधिकतम सीमा
संख्या चोट का विवरण

1	2	3	4
1. मृत्यु	क. आयु 40 वर्ष या 40 वर्ष से कम।	₹ 3 लाख	
	ख. आयु 40 वर्ष से अधिक	₹ 2 लाख	
	और 60 वर्ष तक।		
	ग. आयु 60 वर्ष से अधिक।	₹ 1 लाख	

1	2	3	4
2.	तेजाब हमले के कारण हुए नुकसान सहित कोई भी अंग या शरीर के हिस्से (80 प्रतिशत) का नुकसान होने पर	क. आयु 40 वर्ष या 40 वर्ष से कम। ख. आयु 40 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक। ग. आयु 60 वर्ष से अधिक।	₹ 2 लाख ₹ 1 लाख ₹ 50,000/-
3.	तेजाब हमले के कारण हुए नुकसान सहित कोई भी अंग या शरीर के हिस्से (50 प्रतिशत) का नुकसान होने पर	क. आयु 40 वर्ष या 40 वर्ष से कम। ख. आयु 40 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक। ग. आयु 60 वर्ष से अधिक।	₹ 1 लाख ₹ 50,000/- ₹ 25,000/-
4.	बलात्कार		₹ 3 लाख
5.	मानव तस्करी, अपहरण और छेड़छाड़ इत्यादि जैसे मामलों में पीड़ित महिलाओं और बच्चों को कठोर मानसिक दुख के कारण नुकसान या चोट		₹ 50,000/-

निम्नलिखित खर्च उपरोक्त वर्णित मुआवजे के अतिरिक्त भुगतान-योग्य होंगे :-

1. अन्तयेष्टी खर्च 2000/- रुपये
2. मृत्यु से पूर्व किया गया खर्च चिकित्सा खर्च, वास्तविक खर्च या चोट के कारण जिसके पक्ष में बिल/वोचर हैं, किन्तु वे 15,000/- रुपये से अधिक न हों।

समीर माथुर,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

*Authorised English Translation]***HARYANA GOVERNMENT****HOME DEPARTMENT****Notification**

The 3rd April, 2013

No. S.O. 41/C.A. 2/1974/S. 357-A/2013.—In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Governor of Haryana in co-ordination with the Central Government hereby frames the following scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his/her dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely :—

Short title.

1. This scheme shall be called the Haryana Victim Compensation Scheme, 2013.

Definitions.

2. In this scheme, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);
- (b) "crime" means illegal act of omission or commission or an offence committed against the human body of the victim;
- (c) "dependents" means wife/husband, father, mother, unmarried daughter, minor children and includes other legal heir of the victim who, on providing sufficient proof, is found fully dependent on the victim by the District Legal Services Authority;
- (d) "family" means parents, children and includes all blood relations living in the same household;
- (e) "Schedule" means Schedule appended to this scheme;
- (f) "State" means the State of Haryana.

Victim
Compensation
Fund.

3. (1) There shall be constituted a fund namely Victim Compensation Fund.

(2) The Victim Compensation Fund shall consist of,—

- (a) budgetary allocation for which necessary provision shall be made in the annual budget by the State;

- (b) receipt of amount of fines imposed under section 357 of the Act and ordered to be deposited by the courts in the Fund.
 - (c) amount of compensation recovered from the wrongdoer/accused under clause 7 of the Scheme.
 - (d) donations/contributions from international National Philanthropist/charitable institution/organization and individuals.
- (3) The Administration of Justice Department shall be Nodal Department for regulating, administering and monitoring this scheme.
- (4) The State Legal Services Authority shall be accountable for its functions under the scheme and for furnishing periodical returns of the sums distributed to them by the State Government through the Nodal Department.
- (5) The Fund shall be operated by the Member Secretary, State Legal Services Authority.

4. (1) A victim shall be eligible for the grant of compensation where,— Eligibility for compensation.

- (a) a recommendation is made by the Court under sub-sections (2) and (3) of section 357-A of the Act or the offender is not traced or identified, but the victim is identified, and where no trial takes place, such victim may also apply grant of compensation under sub-section (4) of section 357-A of the Act;
- (b) the victim/ claimant report the crime to the officer- in-charge of the police station or any senior police officer or Executive Magistrate or Judicial Magistrate of the area within 48 hours of the occurrence:

Provided that the District Legal Service Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in reporting;
- (c) the offender is traced or identified, and where trial has taken place, the victim/claimant has cooperated with the police and prosecution during the investigation and trial of the case;

(d) The income of the family should not exceed Rs. 4.5 Lac per annum;

(e) The Crime on account of which the compensation which to be paid under this scheme should have been occurred within the jurisdiction of Haryana State.

(2) The employees of Central/State Government, Boards, Corporations and Public Undertakings and income tax payees shall not be eligible under this scheme.

Procedure for
grant of
compensation.

5. (1) Whenever a recommendation is made by the Court under sub-section (2) of section 357-A of the Act or an application is made by any victim or his dependent under sub-section (4) of section 357-A of the Act to the District Legal Service Authority, the District Legal Service Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to victim and arising out of the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness of the claim. After verifying the claim and by conducting due enquiry, the District Legal Service Authority shall award compensation within two months, in accordance with provisions of this scheme.

(2) Compensation under this scheme shall be paid subject to the condition that if the trial court while passing judgement at later date, orders the accused persons to pay any amount by way of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act, the victim-claimant shall remit an amount equal to the amount of compensation, or the amount ordered to be paid under the said sub-section (3) of section 357 of the Act, whichever is less. An undertaking to this effect shall be given by the victim-claimant before the disbursal of the compensation amount.

(3) The District Legal Service Authority shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case depending on fact of each case.

(4) The quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents shall be as per Schedule I.

(5) The amount of compensation decided under the scheme shall be disbursed to the victim or his dependents, as the case may be, from the Fund. While making payment of amount of compensation, the District Legal Services Authority shall ensure that all the provisions of this scheme are strictly complied with.

(6) Compensation received by the victim from the State in relation to the crime in question, namely, insurance, ex-gratia and/ or payment received under any other Act or 'Rajiv Gandhi Pariwar Bima Yojna' or any other State-run scheme, shall be considered as part of the compensation amount under this scheme. The victim/ claimant who has received compensation amount from collateral sources mentioned above shall be deemed to be compensated under this scheme and shall not be entitled to separate compensation under this scheme. If the eligible compensation amount exceeds the payments received by the victim from collateral sources mentioned above, the balance amount shall be paid out of Fund.

(7) The cases covered under Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) wherein compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under the Scheme.

(8) The District Legal Services Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer-in-charge of the police station or Magistrate of the area concerned, or any other interim relief, as it may deem fit.

6. Copy of the order of compensation passed under this Scheme shall be mandatorily placed on record of the trial Court to enable the court to pass order of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act. Order to be placed on record.

7. The District Legal Services Authority, if deem it proper, may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or his/her dependent(s) from the person responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him. Recovery of compensation awarded to victim from wrondoer/ accused.

8. No claim made by the victim or his dependents under sub-section (4) of section 357-A of the Act shall be entertained after a period of six months of the crime: Limitation.

Provided that the District Legal Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the claim.

9. Any victim aggrieved of the denial of compensation by the District Legal Service Authority may file an appeal before the State Legal Service Authority within a period of ninety days: Appeal.

Provided that the State Legal Service Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

SAMIR MATIUR,
Additional Chief Secretary to
Government, Haryana,
Home Department.

20280-L-R-H-GP-Cpb

Schedule I

Sr. No.	Particular of Loss or Injury	Maximum Limit of Compensation.
1.	Loss of Life	a. Age 40 years or below 40 years. ₹ 3.00 lacs b. Age above 40 years and up to 60 years. ₹ 2.00 lacs c. Age above 60 years. ₹ 1.00 lacs
2.	Loss of any limb or part of body (80%) including loss due to acid attack.	a. Age 40 years or below 40 years. ₹ 2.00 lacs b. Age above 40 years and up to 60 years. ₹ 1.00 lac c. Age above 60 years. ₹ 50,000/-
3.	Loss of any limb or part of body (50%) including loss due to acid attack.	a. Age 40 years or below 40 years. ₹ 1.00 lac b. Age above 40 years and up to 60 years. ₹ 50,000/- c. Age above 60 years. ₹ 25,000/-
4.	Rape.	₹ 3.00 lacs
5.	Loss or injury causing severe mental agony to women and child victims in cases like Human Trafficking, Kidnapping and Molestation etc.	₹ 50,000/-

The following expenses shall be payable in addition to compensation outlined above:

- (i) Funeral expenses ₹ 2,000/-
- (ii) Medical Expenses-Actual expenses incurred before death or on account of injury supported by bills/vouchers but not exceeding ₹ 15,000/-

SAMIR MATHUR,
Additional Chief Secretary to
Government, Haryana,
Home Department.